UPMZ010130102023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारीः- मनोज कुमार सिद्धू ....(उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-2810/2023

उत्तर प्रदेश राज्य

.....................अभियोजक

बनाम

आशु पुत्र इकवाल निवासी गली नंबर-1 महमूद नगर थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर

..........अभियुक्त

मुकदमा अपराध सं०-414/ 2021
अन्तर्गत धारा-354,354 घ, 323 भा.दं.सं.
व 7/8 पॉक्सो एक्ट,
थाना सिविल लाइन, जिला मुजफफरनगर

विषय वस्तु सारणी-

सूचनाकर्ता/वादिनी मुकदमा	पीडिता
प्रतिनिधित्व(वादी)/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व(अभियुक्त)/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता	Syed Muzammil Haider
घटना की तिथि	21.12.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने की तिथि	21.12.2021
आरोप पत्र संख्या व प्रेषित किए जाने की तिथि	13/2022 25.01.2022
वाद संस्थित किए जाने की तिथि	07.02.2022
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	15.02.2024
साक्ष्य अभिलेखन आरम्भ करने की तिथि	03.04.2024
बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. अंकित किये जाने की तिथि	10.06.2026
अन्तिम तर्क/बहस की तिथि	25.06.2026

**विशेष न्यायाधीश(पॉस्को एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर।**

Digitally signed by MANOJ KUMAR SIDDHU
Date: 2026.06.30 15:06:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>अभियोजन प्रपत्रों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः-</u>

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	किस साक्षी द्वारा साबित	प्रकार
1.	प्रदर्श क-1	पी०डब्ल्यू०-1	बयान 164 सी0 आर०पी०सी० पीड़िता

<u>निर्णय</u>

01- प्रस्तुत प्रकरण थाना **सिविल लाइन**, जिला मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा मुकदमा **अपराध संख्या-414/2021** में अभियुक्त **आशु पुत्र इकवाल** के विरूद्ध धारा-**354,354 घ, 323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉक्सो अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन पर संज्ञान लेकर उक्त वाद का विचारण किया गया|

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>निपुन सक्सेना व एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2019) 2 एस०सी०सी० 703</u>** में दिए गए दिशा-निर्देशों एवं **<u>लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-33(7)</u>** के उपबन्धों के अधीन प्रस्तुत निर्णय में वादी मुकदमा की बहन/पीड़िता के नाम के स्थान पर मात्र 'पीड़िता ' शब्द प्रयुक्त किया जायेगा|

3. प्रस्तुत प्रकरण में **वादिनी मुकदमा/पीडिता** के द्वारा **थाना सिविल लाइन** पर इस आशय की एक लिखित तहरीर दी गयी कि "वह जब भी स्कूल या ट्यूशन जाती है तो वो उसका पीछा करता है और उसके फोन पर मैसेज और कॉल करता है| उसकी मम्मी पांच महिने से बराबर समझा रही है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा| आज दिनांक 21.12.2021 में जब वह स्कूल से जा रही थी तो उसके पीछे से आकर कंधे पर मारा| उसने घर आकर मम्मी को बताया| उसके बाद मम्मी ने आसू पुत्र इकबाल 7452883733 और उसकी बहन सन्नो और उसकी मम्मी को समझाने के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान दोनों बहन भाई ने उसके भाई और मम्मी से हाथापाई की|"

4. वादिनी मुकदमा/पीडिता की उक्त लिखित सूचना/तहरीर के आधार पर थाना **सिविल लाइन,** जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक **21.12.2021** को समय **23:56** बजे मु०अ०सं०-**414/2021**, अन्तर्गत धारा-354,354 घ, 323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉस्को एक्ट विरूद्ध **आशु** प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी| प्रकरण की विवेचना की गयी| विवेचक द्वारा मामले में विवेचना प्रारम्भ कर नकल चिक व नकल रपट का इन्द्राज केस डायरी में कर सम्बन्धित चिक

**विशेष न्यायाधीश(पॉस्को एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर|**

लेखक, वादी मकदमा, पीडिता एवं अन्य गवाहान के बयान लेखबब्द्ध कर विवेचना सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करते हुये दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त का सही नाम **आशु** होना पाया एवं बाद विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **आशु** के विरूब्द्ध धारा **354,354 घ, 323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉक्सो अधिनियम** के अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र मय जी०डी० इत्यादि प्रपत्रों के न्यायालय में प्रेषित किया गया|

5. मामले का प्रसंज्ञान लिया गया| उसके उपरान्त उक्त मामले को विशेष सत्र परीक्षण **संख्या-2810/2023** के रुप में पंजीकृत किया गया|

6. तदोपरान्त बाद आवश्यक कार्यवाही न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.02.2024 के द्वारा अभियुक्त **आशु** के विरुब्द्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- **354,354 घ, 323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉक्सो अधिनियम** के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए, जिनसे अभियुक्त ने इन्कार किया एवं विचारण की मांग की|

7. तदोपरान्त अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत अभियोजन साक्षी संख्या-1 **पीडिता**/वादिनी मुकदमा, अभियोजन साक्षी संख्या-2 **पीड़िता की माँ व** अभियोजन साक्षी संख्या-3 **पीडिता के पिता** को परीक्षित कराया गया|बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया, तब अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त किया गया|

8. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० लेखबब्द्ध किये गये, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना कहा है एवं परीक्षित साक्षीगण के द्वारा उसके खिलाफ कोई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया, मुकदमा रंजिशन चलना बताया और कहा कि वह निर्दोष है एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है|

9. मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया|

10. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा/अवयस्क पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर स्कूल व ट्यूशन जाते समय उसका पीछा करते हुए सम्पर्क

करने का प्रयास किया, पीडिता के भाई व मम्मी के स्वेच्छया मारपीट कर साधारण चोटें पहुँचायी व पीडिता पर लैंगिक हमला कारित किया| तर्क दिया गया कि विवेचक ने सही विवेचना की है तथा अभियुक्त के विरुद्ध सही आरोप पत्र प्रस्तुत किया है एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप संदेह से परे साबित होते हैं| अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध करने की याचना की गयी|

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है| अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप साबित नहीं होते है| अतः अभियुक्त को दोष मुक्त किए जाने की याचना की गयी|

12. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया|

13. **दं०प्र०सं० की धारा-354(बी)** के अन्तर्गत इस विशेष वाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित वाद बिन्दु सृजित किये जाते है-

1- क्या अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित हैं?

2- क्या घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थीं?

निष्कर्ष

14. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर दिनांक 21.12.2021 को समय अदम तहरीर, बहद स्थान गली नं0-1 महमूदनगर अन्तर्गत थाना सिविल लाइन जिला मुजफ्फरनगर में वादिया मुकदमा/अवयस्क पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर स्कूल व ट्यूशन जाते समय उसका पीछा करते हुए सम्पर्क करने का प्रयास करने एवं पीडिता के भाई व मम्मी के स्वेच्छया मारपीट कर साधारण चोटें पहुँचाने व पीडिता पर लैंगिक हमला कारित करने का आक्षेप लगाया है| अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन को सिद्ध करने के लिये कुल **03 साक्षीगण** परीक्षित कराए गए हैं| ऐसे में अभियोजन पक्ष के लिये आबध्यकारी है कि वह सकारात्मक रुप से अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को सन्देह से परे साबित करे|

विशेष न्यायाधीश(पॉस्को एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर|

15. **<u>श्रीमती शमीम बनाम दिल्ली राज्य जे.टी. 2018 (9) 23 एस.सी. में माननीय उच्चतम न्यायालय</u>** द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक अपराधिक विचारण सत्य की खोज, अभिलाशा है। आपराधिक विचारण करने वाले न्यायाधीश का केवल यह देखना उत्तरदायित्व नहीं है कि किसी निर्दोष को सजा न हो पाये, बल्कि यह भी देखना है कि कोई दोषी व्यक्ति छूट न पाये। दोनों समान रुपसे महत्वपूर्ण है। दोनों का लोक उत्तरदायित्व है, जिसका निर्वाहन प्रत्येक न्यायाधीश को करना है।

<u>निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 01-</u>

16. सर्वप्रथम यदि बिन्दु संख्या- 1 के परिप्रेक्ष्य में विचार करें कि क्या अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित है? जिसे साबित करने का भार अभियोजन पर है।

<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकनः-</u>

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-1 पीडिता, जो प्रस्तुत प्रकरण का वादिनी मुकदमा है**, ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 21.12.2021 को समय दोपहर 02:30 बजे की है। वह स्कूल से घर जा रही थी। किसी अज्ञात लडके ने उसके कंधे पर हाथ मारा व बदनियती से बात करने लगा। उसने घर आकर पनी मम्मी को बताया। मम्मी थाने जाकर रिपोर्ट लिखायी थी। **उसने अपनी मम्मी को आशु द्वारा छेड़खानी करने वाली बात नहीं बतायी थी**। मुकदमा लिखने के बाद उसके घर पुलिस आयी थी। पूछताछ किये थे। पुलिस वाले उसका मेडिकल नहीं कराये थे। पुलिस वाले उसका बयान न्यायालय में जज साबह के समाने कराये थे। न्यायालय में एक सील बन्द लिफाफा खोला गया, उसने अपने बयान पर लगे फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। बयान पढ़कर पीडिता को सुनाया गया तो कहा कि उसने यही बयान दिया था जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। वह इस समय B.B.A.-I Year में पढ़ रही है। उसकी जन्मतिथि 07.07.2006 है। **इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर कथन किया गया है कि** उसने जो बयान न्यायालय में पहले दिया था। वह परिवार वालों व लोगों के कहने से दिया था। **आशु का नाम उसने पड़ोसियो के कहने से लिखवाया था**। उन्हीं के कहने से उसकी मम्मी ने मुकदमा लिखवाया था। पड़ोसियों के कहने से उसने तहरीर में आशु का नाम लिख कर दिया था। **उसने**

कंधे पर किसने हाथ मारा था, उसे ठीक से देख नहीं पायी थी| वह एक अनजान लड़का था| **आशु उसके मोबाइल पर कभी कोई गन्दे मैसेज नहीं डालता था**| पुलिस वालों ने उसका इस घटना के बावत बयान नहीं लिया था| आज वह अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के बयान दे रही है| कागज सं0-5 क तहरीर उसने ही लिखा था|

18. इस प्रकार साक्षी पी0 डब्ल्यू0-1 जो प्रस्तुत मामले की पीडिता है, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रुप से कथन किया गया है कि उसने जो बयान न्यायालय में पहले दिया था| वह परिवार वालों व लोगों के कहने से दिया था| **आशु का नाम उसने पड़ोसियो के कहने से लिखवाया था| उसने कंधे पर किसने हाथ मारा था, उसे ठीक से देख नहीं पायी थी**| वह एक अनजान लड़का था| **आशु उसके मोबाइल पर कभी कोई गन्दे मैसेज नहीं डालता था**| अर्थात् यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में तहरीर के मजमून से इंकार कर रही है| इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण के सापेक्ष विरोधाभासी साक्ष्य दिया है| इस साक्षी का साक्ष्य स्वयं में विरोधाभासी होने के कारण विश्वसनीय श्रेणी का नहीं है| अतः इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है|

19. अब यदि अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू०-2 सोनिया, जो पीडिता की माँ है,** ने अपने शसपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी पुत्री शालू सनातन धर्म इण्टर कॉलेज में पढ़ती है| दिनांक 21.12.2021 को शाम के समय उसके बेटी जब ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी तो रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पुत्री के कन्धे पर हाथ मारा और उसके साथ हाथापाई की |उसकी पुत्री ने घर पर आकर उसे यह घटना बतायी, फिर उन्हें मौहल्ले के ही रहने वाले आशु पुत्र इकबाल का नाम बताया था, लेकिन उसने आशु को अपनी लडकी के साथ कभी नहीं देखा और न ही वह उसे जानती है| घटना के समय वह मौके पर नहीं थी ***इस स्तर पर अभियोजन की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को इस साक्षी से जिरह की अनुमति प्रदान की गयी| इस साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि*** गवाह को उसका धारा 161 का बयान पढ़कर सुनाया गया व दिखाया गया तो गवाह ने कहा कि घटना के बावत दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था, यदि ऐसा कोई बयान है तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकती| यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री के साथ आशु ने कोई छेड़छाड़ व हाथापाई की हो और घटना

के समय वह मौके पर मौजूद हो| यह कहना भी गलत है कि वह अभियुक्त से सांठ-गांठ करके आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रही है| इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम आशु को आज उसने पहली बार देखा है, इससे पहले उसने इसे नहीं देखा है और न ही उसकी लड़की पीडिता ने कभी उसे बताया है कि आशु उसका पीछा करता था और कभी उसके साथ छेड़छाड़ की हो| किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बेटी की साथ छेड़छाड़ की थी|

20. इस प्रकार साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-2 पीडिता की माँ** ने मुख्य परीक्षा में ही स्वीकार किया है कि **दिनांक 21.12.2021 को शाम के समय उसके बेटी जब ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी तो रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पुत्री के कन्धे पर हाथ मारा और उसके साथ हाथापाई की |** उसकी पुत्री ने घर पर आकर उसे यह घटना बतायी, फिर उन्हें मौहल्ले के ही रहने वाले आशु पुत्र इकबाल का नाम बताया था, लेकिन **उसने आशु को अपनी लडकी के साथ कभी नहीं देखा और न ही वह उसे जानती है|** साक्षी पी0 डब्ल्यू0-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है| इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया| इस साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी के बयान में ऐसा कोई तथ्य निकल कर सामने नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो| अर्थात् इस साक्षी के द्वारा न तो अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती हो| अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं हो रही है|

21- **अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0-3 नन्द किशोर, जो पीडिता के पिता है,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी पुत्री का नाम शालू है| वह सनातन धर्म इण्टर कॉलेज गांदी कॉलौनी मुजफ्फरनगर में पढ़ती थी| **घटना दिनांक 21.12.2021 की शाम की है, जब उसकी बेटी ट्यूशन पढ़कर गांधी कॉलौनी से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री के कन्धे पर हाथ मारा और उसकी पुत्री के साथ हाथापाई की| उसकी पुत्री के शौर मचाने पर वह वहाँ से भाग गया|** यह सारी **घटना उसकी पुत्री ने घर आकर अपनी मम्मी सोनिया को बतायी थी|** हाजिर अदालत मुल्जिम को वह नहीं जानता| मौहल्ले में रहने

वाले कुछ लोगों ने आशु का नाम बताया था| उसने कोई घटना नहीं देखी थी और न ही वह आशु को जानता है| ***इस स्तर पर अभियोजन की याचना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन को इस साक्षी से जिरह की अनुमति प्रदान की गयी| इस साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि*** गवाह को उसका बयान धारा 161 दं.प्र.सं. पढकर सुनाया व दिखाया गया तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, उन्होंने ऐसा कैसे लिख लिया, वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता| यह कहना गलत है कि उसकी पुत्री के साथ आशु ने कोई छेड़छाड व हाथापाई की हो और उसकी पुत्री ने उसे इस घटना के बारे में बताया हो| यह कहना भी गलत है कि उसने घटना देखी हो और व मौके पर मौजूद रहा हो| यह कहना भी गलत है कि उसने मुल्जिम को बचान के लिए उसके डर व दबाव में आज यह बयान दे रहा हो| **इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि** मुल्जिम आशु को आज पहली बार उसने न्यायालय में देखा है| इससे पहले उसे कभी नहीं देखा है| उसकी लडकी ने उसे कभी नहीं बताया था कि आशु उसका पीछा करता है| उसे नहीं पता कि उसकी बेटी के साथ किसने छेड़छाड़ की थी|

22- इस प्रकार साक्षी **पी0 डब्ल्यू0-3 पीडिता के पिता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है| इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया| इस साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इस साक्षी के बयान में ऐसा कोई तथ्य निकल कर सामने नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो| अर्थात् इस साक्षी के द्वारा न तो अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती हो| अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं हो रही है|

23. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष तथ्य के जो तीन **साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-1 पीडिता, पी०डब्ल्यू०- 2 पीड़िता की माँ सोनिया व पी०डब्ल्यू०-3 पीडिता के पिता नन्दकिशोर** को परीक्षित कराया गया हैं| उनमें से साक्षी पी०डब्ल्यू०-1 पीडिता का मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा का साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी होने के कारण विश्वसनीय नहीं है| पी0 डब्ल्यू0-2 पीडिता की माँ व पी०डब्ल्यू०-3

पीडिता के पिता पक्षद्रोही साक्षी है| इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया| अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन कथानक अभियुक्तगण के विरुद्ध सन्देहास्पद है|

24. तथ्य के उक्त साक्षीगण ने न्यायालय के समक्ष दौरान विवेचना विवेचक को दिए गए अपने धारा-161 के बयानों का खण्डन करते हुए यह भी तथ्य प्रकट किया है कि पुलिसवालों ने घटना के बावत उसका कोई बयान नहीं लिया था| ऐसे में उक्त साक्षीगण के धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों को सम्पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं माना जा सकता| इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **नबी अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य, 1999(2) क्राइम्स 272 (All.D.B.)** में यह अवधारित किया गया है कि- *Statement recorded u/s 164 Cr.P.C. can not be used as substantive evidence. It can be used only to corroborate or contradict the witness in accordance with the provision u/s 145 and 157 Evidence Act.*

25. अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरुद्ध युक्ति-युक्ति सन्देह से परे साबित नहीं हो रहा है| चूँकि अभियोजन के तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरुद्ध सन्देह से परे साबित नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में औपचारिक प्रपत्रों के आधार पर भी अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरुद्ध सन्देहास्पद है|

निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या 02-

26. अब यदि इस बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में विचार करें कि क्या पीड़िता घटना के समय अवयस्क थी, तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रधानाचार्य सनातन धर्म कन्या पाठशाला इण्टर कालिज गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर द्वारा निर्गत पीडिता का आयु के संबंध में निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पीडिता की जन्मतिथि **07.07.2006** अंकित है, जिसे अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है| प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक **21.12.2021** की है| उक्त निर्गत प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि **07.07.200** के अनुसार पीडिता घटना की तिथि पर अवयस्क थी| चूँकि प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरुद्ध सन्देहास्पद है एवं स्वयं पीड़िता न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा उसकी

लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने, रास्ते में उसका पीछा करते हुए संपर्क करने व उसके भाई व माँ के साथ स्वेच्छया मारपीट करने व लैंगिक हमला कारित किये जाने की पुष्टि नहीं कर रही है। अतः ऐसी स्थिति में घटना के समय पीड़िता के अवयस्क होने या न होने से प्रस्तुत मामले के गुण-दोष पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना परिलक्षित नहीं होता है।

27. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित नहीं होता है एवं औपचारिक प्रपत्रों के आधार पर भी अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरूद्ध सन्देहास्पद है। पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित होता हो। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **354,354(घ),323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉक्सो अधिनियम** सन्देह से परे साबित नहीं होता है।

28. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-29** यह प्रावधान करती है कि कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहाँ विशेष न्यायालय तब तक, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। इस प्रकार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में आरोपित अपराध के होने की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध की जाएगी, जब तक कि अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत अन्यथा साबित न कर दिया जाए। उक्त अधिनियम में प्राविधानित उपरोक्त प्राविधान पर समीक्षा किए जाने से पूर्व उपधारणा के सन्दर्भ में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह उपधारणा परिपूर्ण नहीं है, बल्कि खण्डनीय है और उपधारणा का तात्पर्य यह नहीं है कि अभियोजन को अपने केस को साबित करने के दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि **धनवन्तरी बलवन्तराय देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य 1964 (1) सीआर०एल० जे० 437 (सुप्रीमकोर्ट)** में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उपधारणा साक्ष्य का एक नियम है, यह फौजदारी मामलों में, जब तक कि अभियुक्त को दोषी नहीं साबित कर दिया जाए तब तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाएगा, की उपधारणा के विपरीत नहीं है। अभियोजन को प्रत्येक परिस्थिति में अपने केस को सन्देह से परे साबित करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित उपरोक्त व्यवस्था आपराधिक विधि का मूल सिद्धान्त है। **सुब्रतो विश्वास बनाम बंगाल राज्य CRA011/2018 Cal-SDB दिनांकित 11.06.2019** में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं **नवीन धनीराम बरैया प्रति महाराष्ट्र राज्य निर्णय दिनांकित 25 जून 2018** में माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि- The presumption would operate only upon the prosecution first proving foundational facts against the accused] beyond reasonable doubt- Unless the prosecution is able to prove foundational facts in the conteût of the allegations made against the accused under the POCSO Act] the presumption under Section 29 of the said Act would not operate against the accused- Even if the prosecution establishes such facts and the presumption is raised against the accused] he can rebut the same either by discrediting prosecution witnesses through cross examination demonstrating that the prosecution case is improbable or absurd or the accused could lead evidence to prove his defence] in order to rebut the presumption. माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम में यद्यपि उपधारणा का प्राविधान, प्राविधानित है, परन्तु मामले में अपराध की उपधारणा करने से पूर्व अभियोजन पर यह दायित्व है कि वह अपना आधारभूत केस स्थापित करे।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 सीआर० एल० जे० 1510 एस०सी०** एवं **भूपेन कालिता बनाम असम राज्य दाण्डिक अपील सं० 87/2017 निर्णय दिनांकित 05.06.2020** में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह अवधारित किया गया है कि आपराधिक मामलों में अपराध को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है, जब तक अभियोजन पक्ष, अभियोजन केस को युक्तियुक्त सन्देह से परे

विशेष न्यायाधीश(पॉस्को एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर।

साबित नहीं करता है, तब तक विधि का यह सामान्य नियम है कि अन्यथा की स्थिति में अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा की जाएगी। अभियोजन को प्रत्येक परिस्थिति में अपने केस को सन्देह से परे साबित करना पड़ेगा। प्रश्नगत मामले में पीड़िता भले ही घटना के समय अवयस्क रही हों, परन्तु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं हो रही है। अभियोजन द्वारा दाखिल मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यों के सापेक्ष पूर्व में की गई समीक्षा से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियोजन अपने आधारभूत केस को ही स्थापित करने में असफल रहा है।

30. आपराधिक विधि शास्त्र का मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष जब तक अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे सिद्ध न कर दे तब तक अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देकर उसे दण्डित नहीं किया जा सकता।

31. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा निर्णीत **दाण्डिक अपील संख्या 633/2013 निर्णय दिनांकत 31.01.2022 पिंकू उर्फ जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य** के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम लिखा देने से कोई अभियुक्त दोषी साबित नहीं हो जाता है, जब तक की उसे अन्य समर्थित साक्षियों से दोषी साबित न कर दिया जाए।

32. आपराधिक विधि शास्त्र में विचारण न्यायालय से यह भी अपेक्षा की गयी है कि सन्देह चाहे कितना भी न्यून हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। अतः ऐसे मामले में अभियुक्तगण के परिप्रेक्ष्य में यदि साक्ष्य के आधार पर यदि न्यायालय के मन मे सन्देह उत्पन्न हो गया हो तो ऐसी परिस्थिति में सन्देह का लाभ अभियुक्त को ही प्रदान किया जाएगा।

33. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक अभियुक्त के विरूद्ध सन्देहास्पद है। प्रस्तुत आपराधिक वादों में अभियोजन पक्ष, अभियुक्त **आशु** के विरूद्ध आरोपित धारा **354,354(घ),323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉक्सो अधिनियम** के अपराध के आरोपों को युक्ति-युक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त सन्देह के आधार पर दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

विशेष न्यायाधीश(पॉस्को एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर।

आदेश

(i). विशेष सत्र परीक्षण संख्या-2810/2023, मुकदमा अपराध सं0-**414/2021**, थाना **सिविल लाइन**, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्त **आशु** को आरोपित धारा **354,354(घ),323 भा.दं.सं. व 7/8 पॉक्सो अधिनियम** के अपराध में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है|

(ii). अभियुक्त जमानत पर न्यायालय में उपस्थित है| अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्ध-पत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किए जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है|

(iii). अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि धारा- 437(A) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रावधानों के अन्तर्गत अभियुक्त मुबलिग-**25,000/(पच्चीस हजार रुपये)** का स्वबंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभूगण अन्दर सात दिवस दाखिल करना सुनिश्चित करें| अभियुक्त को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है तो वह वहाँ उपस्थित होगा| यह बंधपत्र छः माह की समयावधि तक प्रभावी रहेंगे|

(iv). सुसंगत पंजिकाओं में प्रविष्ठि के उपरान्त पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हों|

दिनांक-30.06.2026 **(मनोज कुमार सिद्धू)**
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश/
मुजफ्फरनगर
जे0ओ0 कोड- यू0पी0 6417

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्‌घोषित किया गया|

दिनांक-30.06.2026 **(मनोज कुमार सिद्धू)**
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश/
मुजफ्फरनगर
जे0ओ0 कोड- यू0पी0 6417

**विशेष न्यायाधीश(पॉस्को एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर|**